उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्याः 80–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015 दिनांकः 30 जून, 2015

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्द्वारा निम्नांकित मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) (वै0 एवं यां0) को मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं0–3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्तम्भ संख्या–4 में उल्लिखित निगम/स्थान को स्थानान्तरित कर तैनात/आबण्टित किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) (वै0 एवं यां0) के पद पर नियुक्त होंगेः–

क्र0 सं0	नाम/अभि0 संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) (वै0एवं यां0) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आबण्टित निगम
1	2	3	4
1-	विजय प्रवीन चन्द्र सक्सेना 81128/लखनऊ 31.12.2015	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) एवं मुख्य अभियन्ता, पारेषण दक्षिण, आगरा।	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
2-	अतुल निगम 81136/कानपुर 31.03.2017	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण), आगरा।	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।

2– उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21–3–2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3– आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा ।

4– उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5– नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनांक 11–6–2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

7– उपरोक्त अधिकारियों को मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) (वै0 एवं यां0) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि किन्हीं कारणोंवश निदेशक पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अभियन्ता अधिकारी की मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने की स्थिति में कनिष्ठतम अधिकारी मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) (वै0एवंयां0) के पद पर स्वतः प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

8– उपरोक्त आदेश दिनाँक 01.07.2015 अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनाँक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः पृष्ठ 2

संख्याः 80–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
4– प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
5– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
6– समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7– उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
8– अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9– सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव